

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176] No. 176] नर्ड दिल्ली, सोमवार, फरवरी 18, 2002/माघ 29, 1923

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 18, 2002/MAGHA 29, 1923

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2002

का. आ. 211(अ).— राष्ट्रपति द्वारा 16-1-2002 को किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

आदेश

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 1958 को, जन बातों के संबंध में के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने से लोप किया गया था, अधिक्रांत करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखतें) नियम, 2002 है ।
- 2. ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । राष्ट्रपति के नाम में किए गए और निष्पादित किए गए सभी आदेश और अन्य लिखतें निम्नलिखित द्वारा अधिप्रमाणित की जाएंगी -
- (1) भारत सरकार के सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव या अवर सचिव के हस्ताक्षर द्वारा ; या
- (2) भारत सरकार (कार्य आंबटन) नियम, 1961 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट मंत्रालयों, विभागों, सचिवालयों और कार्यालयों में किसी निदेशक या डेस्क अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा ; या
- (3) वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 में यथा परिभाषित किसी विभागाध्यक्ष के, किसी संघ राज्य क्षेत्र में के विभागाध्यक्ष से भिन्न, हरताक्षर द्वारा ; या
- (4) इन नियमों की अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट किसी विभाग, निदेशालय, आयोग, बोर्ड, कार्यालय या किसी संगठन से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट उस विभाग, निदेशालय, आयोग, बोर्ड, कार्यालय या संगठन के सामने विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा ; या

द्वारा ; या

सचिव, उपसचिव, अवर सचिव द्वारा ; या

में, उस खंड में उपायुक्त (उर्वरक) द्वारा ; या

में, उस खंड में लेखा उप निदेशक द्वारा ; या

संयुक्त सचिव, राष्ट्रपति के सैन्य सचिव, राष्ट्रपति के सचिवालंय में के किसी निदेशक, उप सचिव या अवर सचिव

(6) उपराष्ट्रपति के सचिवाल्य से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उपराष्ट्रपति सचिवाल्य में के

(7) प्रधान मंत्री के कार्यालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखंतों की दशा में, उस कार्यालय में के प्रमुख सचिव,

(8) मंत्रिमंडल सचिवालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, मंत्रिमंडल सचिव, सचिव (समन्वय),

(9) कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग के **उर्वरक खंड से** संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा

(10) जैव प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित मंजूरियों की दशा में, उस विभाग में सलाहकार, निदेशक (वैज्ञानिक),

(11) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग के संचलन और आयात खंड से संबंधित आदेशों और अन्य

लिखतों की दशा में, जस विभाग के जर्वरक खंड में उपायुक्त (पत्तन संचालन और परियोजनाएं) तथा उपायुक्त

(संचलन)द्वारा और जर्वरक विभाग के जर्वरक लेखा खंड के लेखा खंड से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा

(12) विदेश व्यापार महानिदेशालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, महानिदेशक, विदेश व्यापार या

(13) नीलामी संविदा की अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट प्ररुप संविदा 117 में अंतर्विष्ट रूप में संविदा की साधारण हार्ज के

खंड 6, 7 और 8 के अधीन या नीलाम विक्रयों की शर्तों के खंड (2)(घ) और (8) के अधीन ऐसे मांग नोटिसों की दशा

में, जिनमें क्रेताओं से, पूर्ति और व्ययन महानिदेशालय द्वारा की गई किसी संविदा या किए गए किसी विक्रय के अधीन

अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार या निर्यात आयुक्त या संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा ; या

सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, विशेष कार्य अधिकारी, उपसचिव या अवर सचिव द्वारा ; या

प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी या ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी - । द्वारा ; या

अपर सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव, अवर सचिव या उप निदेशक (राजभाषा) द्वारा ; या

2

7

द्वारा; या

किसी हानि या पुनर्विक्रय मद्दे या किसी अन्य कारण से क्रेताओं से वसूलनीय या उनके द्वारा संदेय कोई धनराशि सरकार को संदाय करने का अनुरोध किया गया है, व्ययन निदेशक या उप निदेशक द्वारा ; और पूर्ति और व्ययन महानिदेशालय द्वारा सामान के क्रय और पूर्ति के लिए की गई संविदाओं और पूर्ति आदेशों से उद्भूत माध्यस्थभ पंचाटों के निबंधनों के अनुसार तथा ऐसी संविदाओं और पूर्ति आदेशों से उद्भूत न्यायालय की डिक्रिओं के निबंधनों के अनुसार भी वसूली या संदाय के लिए मांग नोंटिसों की दशा में, पूर्ति निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक या अनुभाग अधिकारी

(14) केन्द्रीय सरकार लेखा (प्राप्तियां और संदाय) नियम, 1983 के अधीन विनिर्दिष्ट प्ररुप जी ए आर 12, 26 और

47 में क्षति पूर्ति विलेखों / बंधपत्रों और गुम मांग देयं झाफ्ट के बदले में नए मांग देय झाफ्ट जारी करने के लिए क्षतिपूर्ति

सचिवालयों और कार्यालयों में और इन नियमों की अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट विभागों, निदेशालयों, आयोगों, बोर्डो, कार्यालयों या संगठनों में कार्यालय प्रधान के रूप में घोषित किसी अधिकारी द्वारा ; या

बंध पत्र की दशा में, भारत सरकार (कार्य - आबंटन) नियम, 1961 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट मंत्रालयों, विभागों,

- (15) डाक विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग में ज्येष्ठ उप महानिदेशक, उप महानिदेशक, निदेशक, सहायक महानिदेशक, मुख्य इंजीनियर या सचिव, डाक सेवा बोर्ड द्वारा ; या
- (16) दूर संचार विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग में किसी सलाहकार, ज्येष्ठ उप महानिदेशक, उपमहानिदेशक, निदेशक, आंतरिक वित्त सलाहकार, उप बेतार सलाहकार, सहायक बेतार सलाहकार, सहायक महानिदेशक, मुख्य इंजीनियर, मुख्य वास्तुविद या सचिव, दूर संचार आयोग द्वारा; या
- (17) उस विभाग के गजेटियर यूनियन से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, सम्पादक (गजेटियर) द्वारा और भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, महानिदेशक, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा ; या
- (18) रक्षा मंत्रालय (वित्त खंड) से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, मंत्रालय में वित्त सलाहकार, अपर वित्त सलाहकार, उप दित्त सलाहकार या सहायक वित्त सलाहकार द्वारा ; या
- (19) पर्यावरण और वन मंत्रालय जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड और राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भी हैं, से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, मंत्रालय में किसी वन अपर प्रहानिरीक्षक, वन उपमहानिरीक्षक, वन सहायक महानिरीक्षक, विज्ञानविद् 'एस डी', विज्ञानविद् 'एस ई', विज्ञानविद् 'एस एफ', विज्ञानविद् 'एस जी', विज्ञानविद् 'जी', विज्ञानविद् 'एच' और मंत्रालय के वन्य जीव खंड में संयुक्त निदेशक, या उप निदेशक द्वारा ; या
- (20) विदेश मंत्रालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, **उस मंत्रालय में किसी अताशे या** प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ; या
- (21) आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग के किसी निदेशक (स्टॉक एक्सचेंज), संयुक्त निदेशक (स्टॉक एक्सचेंज), ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या किसी लेखा अधिकारी द्वारा ; या
- (22) आर्थिक कार्य विभाग में मुद्रा और सिक्का प्रभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस प्रभाग के किसी विशेष अधिकारी (मुद्रा और सिक्का) या किसी उपप्रबंधक द्वारा ; या
- (23) व्यय विभाग में लेखा महा नियंत्रक के संगठन से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस संगठन के महालेखा नियंत्रक, अपर महालेखा नियंत्रक, संयुक्त महालेखा नियंत्रक, उप महालेखा नियंत्रक या सहायक महालेखा नियंत्रक द्वारा ; या
- (24) राजस्व विभाग में कर प्रत्यय प्रमाण पत्र (निर्यात) स्कीम, 1965 (अधिसूचना सं0 3(1)/65-टीसीसी(अ), साठकाठिनेठ 1183, तारीख 27 अगस्त, 1965 द्वारा प्रकाशित) से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उक्त स्कीम के पैरा 4 के अधीन नियुक्त कर प्रत्यय उप निदेशक(निर्यात) या किसी सहायक कर प्रत्यय निदेशक(निर्यात) द्वारा या केन्द्रीय उत्पाद शुंल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के किसी निदेशक द्वारा या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के किसी निदेशक द्वारा या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के किसी निदेशक द्वारा ; या

- (25) भविष्य निधि से वित्त पोषित जीवन बीमा की ऐसी पालिसियों के समनुदेशनों के, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के पक्ष पक्ष में समनुदेशित किया गया है, रहकरण की दशा में, निधि से संबंधित नियमों में यथा परिभाषित निधि के लेखा अधिकारी द्वारा ; या
- (26) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग के किसी संयुक्त शिक्षा सलाहकार, अपर शिक्षुता सलाहकार, उप शिक्षा सलाहकार, सहायक शिक्षा सलाहकार, शिक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, अनुज्ञापन अधिकारी, प्रतिलिप्यधिकार सूचना अधिकारी और विशेष अधिकारी (पुस्तक संवर्धन) द्वारा ; या
- (27) बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग के उप शिक्षा सलाहकार, सहायक शिक्षा सलाहकार, शिक्षा अधिकारी और उप निदेशक द्वारा ; या
- (28) परिवार कल्याण विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग के उप निदेशक (विपणन) या उप निदेशक (प्रदाय) द्वारा ; या
- (29) गृह मंत्रालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस मंत्रालय के उप वित सलाहकार या उप महा निदेशक (प्रदाय) और सहायक निदेशक (प्रदाय) द्वारा और सचिवालय सुख्ता संगठन, जिसके अंतर्गत स्वागत पक्ष भी है, से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस मंत्रालय के मुख्य सुख्ता अधिकारी द्वारा ; या
- (30) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस मंत्रालय के निदेशक, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) और उप निदेशक द्वारा ; या
- (31) कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग के निदेशक (औद्योगिक सहकारिता और समन्वय) या उप निदेशक/अवर सचिव (औद्योगिक सहकारिता और समन्वय) द्वारा; या
- (32) श्रम मंत्रालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस मंत्रालय के श्रम और नियोजन सलाहकार या संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक (बाल और महिला श्रम) या संयुक्त निदेशक (श्रम संबंध) या सहायक निदेशक, श्रम संबंध प्रभाग (राष्ट्रीय श्रम आयोग विंग) द्वारा ; या
- (33) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 43 से संबंधित आदेशों की दशा में, कंपनी कार्य विभाग के अन्वेषण और निरीक्षण निदेशक द्वारा ; या
- (34) संविधान के अधीन या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश, नियम, विनियम या जपविधि के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ की दशा में, जहां ऐसा पाठ भारत के राजपत्र के भाग 2 के खंड 3क में प्रकाशित किया जाता है, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के विधायी विभाग के राजभाषा खंड के संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, किसी अपर विधायी परामर्शी, किसी उप विधायी परामर्शी या किसी सहायक विधायी परामर्शी द्वारा ; या

- (35) संविधान में विनिर्दिष्ट (हिन्दी से भिन्न) किसी भाषा में प्राधिकृत अनुवाद या संविधान के अधीन अथवा किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि की दशा में, जहां ऐसा अनुवाद भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है,विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के विधायी विभाग के राजभाषा खंड के (संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी) किसी अपर विधायी परामर्शी हारा ; या
- (36) योजना आयोग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस आयोग के सलाहकार (प्रशासन) द्वारा ; या
- (37) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग के मुख्य कल्याण अधिकरी या केंट्रीन निदेशक द्वारा ; या
- (38) रेल मंत्रालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, किसी सचिव, किसी अपर सचिव, किसी संयुक्त सचिव, किसी अपर सचिव या किसी अवर सचिव द्वारा या रेल बोर्ड के किसी अपर सदस्य, सलाहकार, कार्यपालक निदेशक, निदेशक, संयुक्त निदेशक या किसी उप निदेशक द्वारा ; या
- (39) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मंजूरियों की दशा में, उस मंत्रालय के किसी विज्ञानविद् 'छ'. विज्ञानविद् 'च', विज्ञानविद् 'ड', विज्ञानविद् 'घ' या विज्ञानविद् 'ग' द्वारा ; या
- (40) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रौद्योगिकी अंतरण प्रभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, किसी ऐसे विज्ञानविद् 'घ', विज्ञानविद् 'च', विज्ञानविद् 'छ' जो ओषधि और भैषजिक अनुसंधान कार्यक्रम से संबंधित है, द्वारा ; या
- (41) गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से संबंधित मंजूरियों की दशा में, उस मंत्रालय के सलाहकार, निदेशक (तकनीकी), प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी और ज्येष्ठ वैज्ञानिक तकनीकी श्रेणी-1 झरा; या
- (42) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग के विशेष कार्य अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ; या
- (43) शहरी विकास और गरीबी जन्मूलन मंत्रालय की प्रशासनिक सतर्कता इकाई से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस इकाई के किसी सहायक सतर्कता अधिकारी द्वारा ; या
- (44) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग में पूर्वी नदियां स्कंध में शाखा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे भारत सरकार के अवर सचिव द्वारा ; या
- (45) भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस आयोग के सचिव या अवर सचिव द्वारा ; या
- (46) संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस आयोग के सचिव, प्रशासन के भारसाधक उप सचिव या प्रशासन के भारसाधक अवर सचिव द्वारा ;

''अनुसूची''

(नियम 2 (4)देखिए)

ऐसे प्राधिकारी जो आदेशों और अन्य लिखतों को अधिप्रमाणित कर सकेंगे:-

विभाग/निदेशालय आयोग, बोर्ड, कार्यालय या संगठन का नाम

अधिकारी

2

कृषि मंत्रालय

पशु पालन और डेयरी विभाग

भारत के महानिदेशक

भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण

परमाणु खर्जा विभाग

- (1) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
- (2) परमाणु खनिज प्रभाग
- (3) उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र
- (4) परिवर्तनशील ऊर्जा साइक्लोट्रोन केन्द्र
- (5) इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र
- (6) हैवी वाटर बोर्ड
- (7) नाभिकीय ईंधन काम्पलेक्स
- (8) परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड
- (9) क्रय और भंडारण निदेशालय
- (10) विकिरण और समस्थानिक प्रौद्योगिकी बोर्ड
- (11) संनिर्माण सेवा और सम्पदा प्रबंधन निदेशालय
- (12) साधारण सेवा संगठन, कलपक्कम

अध्यक्ष, कार्मिक प्रभाग मुख्य प्रशासनिक और लेखा अधिकारी मुख्य प्रशासनिक और लेखा अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी - 3 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निदेशक (कार्मिक/प्रशासन) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी - 3
- प्रशासनिक अधिकारी 3
- प्रशासनिक अधिकारी 3
- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
- प्रशासनिक अधिकारी 3

परमाणु उर्जा आयोग नागर विमानन मंत्रालय

सचिव

नागर विमानन महानिदेशालय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग उप निदेशक प्रशासन

1. शर्करा निदेशालय

मुख्य निदेशक (शर्करा)/निदेशक (शर्करा तकनीकी)/ निदेशक (शर्करा नियंत्रण)/ संयुक्त सचिव (लागत) 2. वनस्पति, खाद्य तेल और वसा निदेशालय संस्कृति मंत्रालय

- 1. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
- 2. राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता

रक्षा मंत्रालय

- (1) संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
- (2) नौ सेना परियोजना
- (3) सैनिक विनियम और फार्म
- (4) राष्ट्रीय कैंडेट कोर
- (5) सेना मुख्यालय
- (6) नौ सेना मुख्यालय
- (7) वायुसेना मुख्यालय
- (8) राडार और संचार परियोजना कार्यालय
- (9) रक्षा संपदा महानिदेशालय
- (1C). सेना क्रय संगठन
- (11) सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक .
- (i) सेना चिकित्सा कोर और सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी) आफिसर
- (12) चिकित्सा सेवा महानिदेशक (सेना)
- (i) सैन्य नर्सिंग सेवा आफिसर
- (ii) सैन्य दंत कोर आफिसर
- (iii) जूनियर कमिशंड आफिसर / सेना चिकित्सा कोर्र के अन्य रैंक/सेना दंत कोर
- 13. अश्व प्रदाय और पशु चिकित्सा कोर महानिदेशक

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग रक्षा अनुसंधान और दिकास संगठन मुख्य निदेशक (वनस्पति)

निदेशक (प्रशासन)

निदेशक /प्रधान पुस्तकालय और सूचना अधिकारी

संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निदेशक/उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

महानिदेशक

निदेशक/सहायक निदेशक

उप महा निदेशक (कार्मिक और वित्त/निदेशक (कार्मिक))

सेना सचिव / अपर सेना सचिव /

उप सेना सचिव /कनर्ल सेना सचिव / सहायक

सेना सचिव / संगठन और कार्निक

महानिदेशक /कार्मिक सेवा अपर महानिदेशक

कार्मिक निदेशक /उप निदेशक

कार्मिक सेवा निदेशक/

उप निदेशक कार्मिक आफिसर

निदेशक / उपनिदेशक /

सहायक निदेशक

सिस्टम आफिसर

महानिदेशक/ अपर महानिदेशक/

सहायक महानिदेशक

क्रय मुख्य निदेशक /

उप क्रय मुख्य निदेशक / सहायक मुख्य क्रय निदेशक /

अनुभाग अधिकारी

उपमहानिदेशक

अपर महानिदेशक. सैन्य नर्सिंग सेवा निदेशक, दंत सेवा

निदेशक चिकित्सा सेवा (प्रशिक्षण और समन्वय)

अश्वस प्रदाय और पशु चिकित्सा कौर के अपर महानिदेशक

निदेशक कार्मिक/ उप निदेशक कार्मिक/ सहायक निदेशक कार्मिक

रक्षा उत्पादन और आपूर्ति

- 1. योजना और समन्वय निदेशालय
- 2. आईनेंस कारखाना
- 3. तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु) निदेशालय

निदेशक (योजना और समन्वय)/उप योजना अधिकारी (समन्वय)
महानिदेशक (आईनेंस कारखाना) / अपर
महानिदेशक (सदस्य आईनेंस कारखाना बोई)/ उप
महानिदेशक / संयुक्त निदेशक
निदेशक या संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या सहायक
निदेशक (प्रशासन)

रक्षा मंत्रालय (वित्त)

रक्षा लेखा विभाग वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग 1. प्रवर्तन निदेशालय

- 2. अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी
- 3. आयकर बंदोबस्त आयोग
- 4. स्वापक ओषधि नियंत्रण ब्यूरी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग महानिदेशक स्वास्थ्य सेवांए

गृह मंत्रालय 1. आसूचना ब्यूरो

- 2. सीमा सुरक्षा बल
- 3. केन्द्रीयं आरक्षित पुलिस बल
- 4. भारत तिब्बत सीमा पुलिस
- 5. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
- 6. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
- 7. समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)
- पूर्वोत्तर परिषद सिववालय
- 9. असम राइफल्स

अपर महानियंत्रक / उप महानियंत्रक

विशेष निदेशक/ अपर निदेशक / उप निदेशक / सहायक निदेशक / उपविधि सलाहकार आयकर आयुक्त/अपर आयकर आयुक्त / उप आयकर आयुक्त अध्यक्ष / सचिव

उप विधि सलाहकार

निदेशक (प्रशासन और सर्तकता)/उप निदेशक (प्रशासन)

मुख्यालय कार्यालय में के संयुक्त निदेशक /उपनिदेशक /संयुक्त उप निदेशक /सहायक निदेशक/ संयुक्त सहायक निदेशक मुख्यालय कार्यालय में के उप निदेशक / अपर उप महानिरीक्षक / सहायक निदेशक महानिदेशक /अपर महानिदेशक/महानिरीक्षक / वित्तीय सलाहकार / उप निदेशक / उप वित्तीय सलाहकार /सहायक निदेशक /संयुक्त सहायक निदेशक/ उपसहायक निदेशक महानिदेशक /महानिरीक्षक पुलिस / जपमहानिरीक्षक/कमांडेट (स्टाफ)/ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महानिदेशक / महानिरीक्षक पुलिस/ उप महानिरीक्षक पुलिस / सहायक महानिरीक्षक / ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उप निदेशक (प्रशासन) अपर निदेशक सचिवालय के मुख्यालय में के निदेशक/ 🖂 सचिव महानिदेशक/उप महानिदेशक / निदेशक /उप निदेशक / सहायक निदेशक / संयुक्त सहायक निदेशक / उप सहायक निदेशक

- 10. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
- 11. भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
- 12. जनगणना प्रचालन निदेशालय
- 13. पुनर्वास विभाग .
- 14. विशेष सेवा ब्यूरो
- 15. पुलिस अनुसंधान और विकास बयूरो

मानव संसाधनं विकास मंत्रालय महिला और बाल विकास विभाग खाद्य और पोषाहार बोर्ड युवा कार्य और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा स्कीम उप महानिरीक्षक (प्रशासन)
प्रुप कमाडेंट (स्थापन)
भारत का महारजिस्ट्रार / संयुक्त महारजिस्ट्रार/ उप
महारजिस्ट्रार / संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक
निदेशक जनगणना प्रचालन / संयुक्त निदेशक जनगणना
प्रचालन / उपनिदेशक जनगणना प्रचालन / सहायक
निदेशक जनगणना प्रचालन
प्रमंध अधिकारी
मुख्यालय में के संयुक्त निदेशक/ महानिरीक्षक पुलिस,
उपनिदेशक / उप महानिरीक्षक, संयुक्त उप निदेशक /
सहायक निदेशक
महानिदेशक, निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक,
संयुक्त सहायक निदेशक,

तकनीकी सलाइकार / क्षेत्रीय उप तकनीकी सलाहकार

निदेशक/कार्यक्रम सलाहकार/डेस्क अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी/ विभागाध्यक्ष या भारत सरकार (कार्य - आंदिन) नियम, 1961 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट मंत्रालयों/ विभागों /सिववालयों/ कार्यालयों के कार्यालयांख्यक्ष के रूप में घोषित किसी अधिकारी द्वारा और गुम मांग देय झुफ्ट के बदले में नए झुफ्ट जारी करने के लिए क्षतिपूर्ति बंधपत्रों की दशा में केन्द्रीय सरकार लेखा (प्राप्तियां और संदाय) नियम, 1983 के अधीन विनिर्दिष्ट प्ररूप जी ए आर 12, 26 और 47 में विनिर्दिष्ट विलेखों/क्षतिपूर्ति, बंधपत्रों की दशा में इन नियमों की अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट विभाग / निदेशालय/ आयोग / बोर्ड / कार्यालय / संगठन के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ।

लघु उद्योग मंत्रालय

- 1. विकास आयुक्त लघु उद्योग का कार्यालय
- 2. आर्थिक सलाहकार का कार्यालय
- 3. औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो
- 4. नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर
- 5. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, नागपुर

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

- (क) मानकीकरण परीक्षण और क्वालिटी प्रमाणन निदेशालय
- (i) इलैक्ट्रानिक क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशालाएं
- (ii) इलैक्ट्रानिक परीक्षण और विकास केन्द्र

विकास आयुक्त, संयुक्त विकास आयुक्त, मुख्यालय कार्यालय में के निदेशक (प्रशासन) और उप निदेशक प्रशासन) अपर आर्थिक सलाहकार और उप आर्थिक सलाहकार सचिव/ निदेशक की रेंक में का कोई अधिकारी नमक आयुक्त और सहायक नमक आयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, ज्येष्ठ संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक और उप

महानिदेशक, (मानकीकरण परीक्षण और क्वालिटी नियंत्रण) संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक

[PART II—SEC. 3(ii)]

FF F +1	^ ^	
(111)	विश्वसनीयता	CF TI
	14/4/1 114/11	7 X

निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक

(ख) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र

निदेशक, संयुक्त निदेशक, सहायक निदेशक

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय विधायी विभाग

राजभाषा खंड श्रम मंत्रालय श्रम महानिदेशालय

संयुक्त सिचव और विधायी परामर्शी

कोयला और खान मंत्रालय 1. भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण महानिदेशक / संयुक्त सचिव / उपसचिव/अवर सचिव/डेस्क अधिकारी

2. भारतीय खान ब्यूरो

ज्येष्ठ उप महानिदेशक/उप महानिदेशक/निदेशक/क्षेत्रीय प्रशासनिक अधिकारी/ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महानियंत्रक/खान नियंत्रक (समन्वय)/मुख्य खान नियंत्रक /निदेशक (अयस्क ड्रेंसिंग)/कार्यालयाध्यक्ष

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

उप निदेशक (प्रशासन)/ प्रशासनिक अधिकारी/ सहायक निदेशक (स्थापन)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारतीय मौसम विज्ञान विभाग

उप महानिदेशक गौसम विज्ञान (प्रशासन और भंडार)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग

2. राष्ट्रीय अल्प संख्यक आयोग

अवर सचिव

अवर सचिव

अंतरिक्ष दिभाग अंतरिक्ष आयोग वाणिज्य विभाग

पूर्ति और व्ययन महानिदेशालय

सचिव

निदेशक (प्रशासन) उप निदेशक

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

1. सङ्क सुरक्षा

2. समुद्री विकास

उप निदेशक (सड़क सुरक्षा) लेखा अधिकारी

लेखा अधिकारी (समुद्री विकास)

वस्त्र मंत्रालय

1. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

2. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

3. विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय

4. जूट आयुक्त का कार्यालय

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) / निदेशक (विपणन) संयुक्त वस्त्र आयुक्त

उप विकास आयुक्त उप जूट आयुक्त

शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

निदेशक/उपनिदेशक (प्रशासन)

अधिकारी / सहायक बंदोबस्त आयुक्त

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

संपदा उप निदेशक मुख्य योजनाकार

शहरी विकास विभाग

- 1. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
- 2. मुद्रण निदेशालय
- 3. संपदा निदेशालय
- 4. टाउन और कन्ट्री योजना संगठन
- 5. भूमि और विकास कार्यालय

जल संसाधन मंत्रालय केन्द्रीय जल आयोग

मुख्यालय स्थित मानव संसाधन खंड में के सचिव (केन्द्रीय जल आयोग)/निदेशक/अवर सचिव/ उपनिदेशक

मुकदमा, बाजार और नीति प्रकोष्ठ के भार साधक

भूमि और विकास अधिकारी/ उप भूमि और विकास

नई दिल्ली

तारीख 16 जनवरी, 2002

के. आर. नारायणन, राष्ट्रपति।

[सं. 23/1/94-पब्लिक]

यशवंत राज, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2002

S. O. 211(E).—The following Order made by the President on 16-01-2002 is published for general information.

ORDER

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution and in supersession of the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President is pleased to make the following rules, namely:-

- (1) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 2002.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette. All Orders and other instruments made and executed in the name of the President shall be authenticated -
- (1) by the signature of a Secretary, Special Secretary, Additional Secretary, Joint Secretary, Director, Deputy Secretary, or Under Secretary to the Government of India; or
- (2) by the signature of a Director or Desk Officer in the Ministries, Departments, Secretariats and Offices specified in the First Schedule to the Government of India(Allocation of Business) Rules, 1961; or

- (3) by the signature of a Head of a Department as defined in the Delegation of Financial Powers Rules, 1978, other than a Head of Department in any Union Territory; or
- (4) in the case of orders and other instruments relating to a Department, Directorate, Commission, Board, Office or an Organisation, specified in column 1 of the Schedule to these rules, by an officer specified against that Department, Directorate, Commission, Board, Office or Organisation in column 2 of the said Schedule; or
- (5) in the case of orders and other instruments relating to the President's Secretariat, by the Secretary to the President, Joint Secretary to the President, the Military Secretary to the President, a Director, a Deputy Secretary or an Under Secretary in the President's Secretariat; or
- (6) in the case of orders and other instruments relating to the Secretariat of the Vice-President, by the Secretary, Deputy Secretary, under Secretary in the Vice-President's Secretariat; or
- (7) in the case of orders and other instruments relating to the Prime Minister's Office, by the Principal Secretary, Secretary, Joint Secretary, Director, Officer on Special Duty, Deputy Secretary or the Under Secretary in that Office; or
- (8) in the case of orders and other instruments relating to the Cabinet Secretariat, by the Cabinet Secretary, Secretary (Co-ordination), Additional Secretary, Joint Secretary, Director, Deputy Secretary, Under Secretary or Deputy Director (Official Language).
- (9) in the case of orders and other instruments relating to the Fertiliser Division of the Department of Agriculture and Co-operation of the Ministry of Agriculture by the Deputy Commissioner (Fertilizer) in that Division; or
- (10) in the case of sanctions relating to the Department of Biotechnology, by the Advisor, Director (Scientific), Principal Scientific Officer or Senior Scientific Officer Grade-I in that Department; or
- (11) in the case of orders and other instruments relating to the Movement and Import Division of the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers by the Deputy Commissioner (Port Operations & Projects) and Deputy Commissioner (Movement) in the Fertiliser Division of that Department and in the case of those relating to the Accounts Wing of the Fertiliser Accounts Wing of the Department of Fertilisers, by the Deputy Director of Accounts in that Wing; or

- (12) in the case of orders and other instruments relating to the Directorate General of Foreign Trade, by the Director General of Foreign Trade, or the Additional Director General of Foreign Trade, or the Export Commissioner or Joint Director General of Foreign Trade; or
- clauses 6,7 and 8 of the General conditions of Contract as contained in Form Contract 117 or under clauses (2)(d) and (8) the conditions of Auction Sales specified under Schedule III of the Auctioneering Contract requesting purchasers to pay to the Government any sum of money recoverable from or payable by purchasers on account of either loss or resale or for any other reason under a contract or sale entered into by the Directorate General of Supplies and Disposals, by a Director or a Deputy Director of Disposals; and in the case of demand notices for recovery or payment in term of Arbitration Awards arising out of the contracts and supply orders placed by the Directorate General of Supplies and Disposals for purchase and supply of Stores and also in terms of court decrees arising out of such contracts and supply orders or otherwise, by a Director, a Deputy Director or an Assistant Director or a Section Officer of Supplies; or
- (14) in the case of deeds/bonds of indemnity in Forms GAR 12, 26 and 47 specified under the Central Government Account (Receipts and Payments) Rules, 1983 and indemnity bond for issue of fresh demand draft in lieu of lost demand draft, by an officer declared as Head of Office in the Ministries, Departments, Secretariats and Offices specified in the First Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 and Departments, Directorates, Commissions, Boards, Offices or Organisations specified in column 1 of the Schedule to these rules; or
- (15) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Posts, by a Senior Deputy Director General, a Deputy Director General, a Director, an Assistant Director General, a Chief Engineer or the Secretary, Postal Services Board in that Department; or
- (16) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Telecommunication, by an Adviser, a Senior Deputy Director General, a Deputy Director General, a Director, an Internal Financial Advisor, a Deputy Wireless Advisor, an Assistant Wireless Advisor, an Assistant Director General, a Chief Engineer, a Chief Architect or the Secretary, Telecom Commission in that Department; or
- (17) in the case of orders and other instruments relating to the Gazetters Union of that Department, by the Editor (Gazetters) and in the case of orders and other instruments relating to the National Archives of India, by the Director General of National Archives of India; or

instruments relating to the Ministry of Defence (Finance Division), by a Financial Advisor, Additional Financial Advisor in the Ministry; or

instruments relating to the Ministry of Environment and Forests including National Afforestation and Eco-Development Board and National River Conservation Directorate, by an Additional Inspector General of Forests, Deputy Inspector General of Forests, Assistant SE', Scientist 'SF', Scientist 'SF', Scientist 'SG', Scientist 'G', in the Wildlife Division of the Ministry; or

instruments relating to the Ministry of External Affairs, by an Attache or an Administrative Officer in that Ministry; or

instrumenpp to relating to the Department of Economic Affairs, by a Director (Stock Exchange), Joint Director (Stock Exchange), Senior Accounts Officer or an Accounts Officer in that Department; or

instruments relating to the Currency and Other Division in the Department of Economic Affairs, by a in that Division; or

(23) in the case of orders and other instruments relating to the Organisation of the Controller General of Accounts in the Department of Expenditure by the Controller General of Accounts, Additional Controller General of Accounts, Controller General of Accounts, the Deputy Controller General of Accounts or the Assistant Controller General of Accounts in that Organisation; or

(24) in the case of orders and other instruments relating to the Tax Credit Certificate (Exports) Scheme, 1965 (published vide notification No.3(1)/65-TCC(E) vide GSR 1183, dated the 17th August, of Tax Credit (Exports) or an Assistant Director of Tax Credit (Exports) or an Assistant Director of Tax Scheme, or by a Director in the Central Board of Excise Direct Taxes; or

(25) in the case of cancellation of assignments of policies of life assurance, financed from a Provident Fund, which have been assigned in favour of the President of India, by the Accounts Officer of the Fund as defined in the Rules relating to the Fund; or

instruments relating to the Department of Secondary and Higher Education by a Joint Educational Advisor, Additional Apprenticeship Advisor, Deputy Educational Advisor, Assistant Educational Advisor, Educational Officer, Joint Director, Deputy Director, Licensing Officer, Copyright Information Officer and Special Officer (Book Promotion) in that Department; or

345

- (27) in the case of orders and other instruments relating to Department of Elementary Education and Literacy by the Deputy Education Advisor, Assistant Educational Advisor, Education Officer and Deputy Director in that Department; or
- (28) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Family Welfare, by the Deputy Director (Marketing), or Deputy Director (Supply) of that Department; or
- instruments relating to the Ministry of Home Affairs, by a Deputy Financial Advisor or Deputy Director General (Supplies) and Assistant Director (Supplies) and in the case of orders and other instruments relating to the Secretariat Security Organisation including Reception Wing, by the Chief Security Officer in that Ministry; or
- (30) in the case of orders and other instruments relating to the Ministry of Information Technology by the Director, the Joint Director (Administration) and Deputy Director in that Ministry; or
- (31) in the case of orders and other instruments relating to the Ministry of Agro and Rural Industries, by the Director (Industrial Co-operatives and Co-ordination) or the Deputy Director/Under Secretary (Industrial Co-operatives and Co-ordination) in that Department; or
- instruments relating to the Ministry of Labour by the Labour and Employment Adviser or Joint Director/Deputy Director (Child and Women Labour) or Joint Director (Labour Relations) or Assistant Director in the Labour Relations Division (National Commission on Labour Wing) of that Ministry; or
- (33) in the case of orders relating to section 43 of Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), by the Director of Investigation and Inspection in the Department of Company Affairs; or
- (34) in the case of authoritative text in Hindi of any order, rule, regulation or bye-law issued under the Constitution or under any Central Act where such text is published in Section 3A of Part II of Secretary the Gazette of India, by the Joint Legislative Counsel, an Additional Legislative Counsel, a Deputy Legislative Counsel or an Assistant Legislative Legislative Counsel, Official Languages Wing, and Company Justice Department, Ministry of Law, Affairs; or
- translation in any language (other than Hindi) specified in the Constitution, or any order, rule, regulation or bye-law issued under the Constitution or under any Central Act, where such translation is published in the Gazette of India, by Joint Secretary and Legislative

Counsel, an Additional Legislative Counsel, a Deputy Legislative Counsel or an Assistant Legislative Counsel, Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law, Justice and Company Affairs; or

(36) in the case of orders and other instruments relating to the Planning Commission, by the Advisor (Administration) in that Commission; or

instruments relating to the Department of Personnel and Training by the Chief Welfare Officer or the Director of Canteens in that Department; or

(38) in the case of orders and other instruments relating to the Ministry of Railways, by a Secretary, an Additional Secretary, a Joint Secretary, a Deputy Secretary or an Under Secretary to, or by a/an Additional Member, Advisor, Executive Director, Director, Joint Director, or a Deputy Director, of the Railway Board; or

(39) in the case of sanctions relating to the Ministry of Science and Technology, by a Scientist 'G', Scientist 'F', Scientist 'E', Scientist 'D', or Scientist 'C' in that Ministry; or

instruments relating to Technology Transfer Division of Department of Science & Technology, by a Scientist-D, Scientist-F or Scientist-G dealing with Drugs & Pharmaceuticals Research Programme; or

(41) in the case of sanctions relating to the Ministry of Non-conventional Energy Sources, by Officer and Senior Scientific Officer Grade-I in that

instruments relating to the Department of Space, by the Officer on Special Duty or Administrative Officer in

instruments relating to the Administrative Vigilance Unit in the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, by an Assistant Vigilance Officer in that Unit; or

instruments relating to the Ministry of Water Resources, by the Under Secretary to the Government of India functioning as Branch Officer in the Eastern Rivers Wing in that Department; or

instruments relating to the Election Commission of India, by the Secretary or Under Secretary in that

instruments relating to the Union Public Service Commission, by the Secretary, the Deputy Secretary-in-charge of Administration or the Under that Commission;

" SCHEDULE"

(See rule 2 (4))

Authorities who may authenticate orders and other Instruments:-

Name of the Department/Directorate Commission, Board, Office or an Organisation

1.

Officer

2.

MINISTRY OF AGRICULTURE

<u>Department of Animal Husbandary</u> <u>and Dairying</u> Fishery Survey of India

Director General of India

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

(1) Bhabha Atomic Research Centre Head, Personnel Division

(2) Atomic Minerals Division Chief Administrative and Accounts Officer.

(3) Centre for Advanced Technology Chief Administrative and Accounts Officer.

(4) Variable Energy Cyclotron Centre Administrative Officer-III.

(5) Indira Gandhi Centre for Atomic Research

Chief Administrative Officer

(6) Heavy Water Board

Director (Personnel/Administration).

(7) Nuclear Fuel Complex

Chief Administrative Officer

(8) Atomic Energy Regulatory Board

Administrative Officer-III.

(9) Directorate of Purchase and Stores Administrative Officer-III.

(10) Board of Radiation and Isotope Technology Administrative Officer-III.

(11)Directorate of Construction Service and Estate Management Chief Administrative Officer.

(12) General Services Organisation, Kalpakkam Administrative officer-III.

Atomic Energy Commission

Secretary

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

Directorate General of Civil Aviation

Deputy Director of Administration.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

Department of Food and Public Distribution

(1) Directorate of Sugar

Chief Director (Sugar)/Director (Sugar Technical)/ Director(Sugar Control)/ Joint Director (Cost).

(2) Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats

Chief Director (Vanaspati).

MINISTRY OF CULTURE

(1) Archaeological Survey of India

Director (Administration).

(2) National Library, Calcutta

Director/Principal Library and Information Officer

MINISTRY OF DEFENCE

(1) Joint Secretary and Chief Administrative Officer

Joint Secretary and Chief Administrative Officer/Director/ Deputy Chief Administrative Officer

(2) Naval Project

Director General

(3) Military Regulations and Forms

Director/Assistant Director.

(4) National Cadet Corps

Deputy Director General (Personnel and Finance)/ Director(Personnel).

(5) Army Headquarters

Military Secretary/
Additional Military
Secretary/
Deputy Military
Secretary/Colonel
Military Secretary
/Assistant
Military Secretary/
Director General of
Organisation and
Personnel/Additional
Director General of
Personnel Services.

(6) Naval Headquarters

Director/Deputy
Director of
Personnel, Director/
Deputy Director of
Personnel Services.

(7)	Air	Force	Headquarters	Director/Deputy Director/Assistant
				Director of
				Personnel(Officers).

(8) Radar and Communications Project Office Systems Officer.

(9) Directorate General of Defence Estates

Director General/ Additional Director General/Assistant Director General.

(10) Army Purchase Organisation

Chief Director of Purchase/Deputy Chief Director of Purchase/ Assistant Chief Director of Purchase/ Section Officer.

- (11) <u>Director General Armed</u> <u>Forces Medical Services.</u>
 - (i) Army Medical Corps and Army Medical Corps(Non-Technical) Officers

Deputy Director General.

- (12) <u>Director General Medical</u> <u>Services (Army)</u>
 - (i) Military Nursing Service Officers

Additional Director General Military Nursing Service.

(ii) Army Dental Corps Officers Director, Dental Services.

(iii) Junior Commissioned Officers/Other Ranks of Army Medical Corps/ Army Dental Corps Director, Medical Services (Training and Coordination)

(13) Director General of Remount and Veterinary Corps

Additional Director General of Remount and Veterinary Corps

<u>DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH</u> <u>AND DEVELOPMENT</u>

Defence Research and Development Organisation

Director of
Personnel/Deputy
Director of
Personnel/Assistant
Director of
Personnel.

DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES

(1)Directorate of Planning and Coordination

Director (Planning and Co-ordination) / Deputy Planning Officer (Co-ordination). (2) Ordnance Factories

Director General (Ordnance Factory)/Additional Director General (Member Ordnance Factory Board) /Deputy Director General/ Joint Director.

(3)Directorate of Technical Development and Production (Air)

Director or Joint Director (Administration) or Assistant Director (Administration)

MINISTRY OF DEFENCE (FINANCE)

Defence Accounts Department

Additional Controller General/ Deputy Controller General.

MINISTRY OF FINANCE Department of Revenue

(1) Enforcement Directorate

Special Director/ Additional Director/ Deputy Director/ Assistant Director/ Deputy Legal Advisor

(2) Authority for Advance Rulings

Commissioner of Income-Tax/Additional Commissioner of Income Tax/Deputy Commissioner of Income-Tax.

(3) Income-Tax Settlement Commission

Chairman/Secretary.

(4) Narcotics Control Bureau

Deputy Legal Advisor

M/O HEALTH &FAMILT WELFARE

DEPARTMENT OF HEALTH

Directorate General of Health Services

Director (Administration and Vigilance) / Deputy Director (Administration).

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(1) Intelligence Bureau

Joint Director/
Deputy Director/
Joint Deputy
Director/Assistant
Director/Joint
Assistant Director
in the Headquarters
Office.

(2)Border Security Force

Deputy Director/
Additional Deputy
Inspector General/
Assistant Director
in the Headquarters
Office.

(3) Central Reserve Police Force

Director General
Additional Director
General/Inspector
General/Financial
Advisor/Deputy
Director/ Deputy
Financial Advisor/Assistant
Director/Joint Assistant
Director/Deputy Assistant
Director/Deputy Assistant

(4) Indo-Tibetan Border Police

Director General/ Inspector General of Police/Deputy Inspector General/Commandant (Staff)/Senior Administrative Officer.

(5) Central Industrial Security Force

Director General/ Inspector General of Police/Deputy Inspector General of Police/ Assistant Inspector General /Senior Administrative Officer.

(6) National Police Academy

Deputy Director (Administration)

(7) Directorate of Coordination (Police Wireless)

Additional Director

(8)North Eastern Council Secretariat Director/Deputy Secretary at the Headquarters of the Secretariat.

(9) Assam Rifles

Director General/
Deputy Director
General/Director/
Deputy Director/
Assistant Director/Joint
Assistant Director/Deputy
Assistant Director.

(10) National Security Guard

Deputy Inspector General (Administration) Group Commandant (Establishment). (11)Office of the Registrar General, India.

Registrar General, India/Joint

Registrar General/ Deputy Registrar General/Joint Director

/Deputy Director.

(12)Directorate of Census Operations Director of Census
Operations/Joint
Director of Census
Operations/Deputy
Director of Census
Operations/Assistant
Director of Census
Operations.

(13) Rehabilitation Division

Managing Officer

(14) Special Service Bureau.

Joint Director/Inspector General of Police, Deputy Director/Deputy Inspector General, Joint Deputy Director/Assistant Director in the Headquarters.

(15) Bureau of Police Research & Development

Director General, Director, Deputy Director, Assistant Director, Joint Assistant Director

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

Department of Women and Child Development

Food and Nutrition Board

Technical Advisor/ Regional Deputy Technical Advisor

Ministry of Youth Affairs and Sports

National Service Scheme

Director/Programme Advisor/Desk Officer/ Section Officer/Head of the Department or By an officer declared as Head of office in the Ministries/Departments/ Secretariats/Offices specified in the First Scheduled to the Govt. of India(Allocation of Business) Rules, 1961 and Departments/Directorates/ Commissions/Boards/ Offices/organisations specified in column 1 of the Schedule to these rules in case of deeds/indemnity bonds in Forms GAR 12,26 & 47 specified under the Central Government Accounts (Receipts & Payments)

Rules 1983 & indemnity bond for issue of fresh draft in lieu of lost demand draft.

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

(1)Office of the Development Commissioner, Small Scale Industries Development
Commissioner, Joint
Development Commissioner, Director
(Administration) and Deputy
Director(Administration) in
the Headquarters
Office.

(2)Office of Economic Advisor

Additional Economic Advisor and Deputy Economic Advisor.

(3) Bureau of Industrial Costs and Prices

Secretary/Any officer in the rank of Director

(4)Office of the Salt Commissioner, Jaipur

Salt Commissioner, Deputy Salt Commissioner and Assistant Salt Commissioner.

(5)Office of Chief Controller of Explosives, Nagpur

Chief Controller of Explosives, Senior Joint Chief Controller of Explosives, Joint Chief Controller of Explosives and Deputy Chief Controller of Explosives.

MINISTRY OF INFORMATION TECHNOLOGY

(a) Standardisation Testing & Quality Certification (STQC) Directorate

Director
General(Standardisation
Testing and Quality
Control),
Joint Director, Deputy
Director

(i) Electronics Regional Test Laboratories

Director, Joint Director, Deputy Director.

(ii) Electronics Test and Development Centres

Director, Joint Director Deputy Director.

(iii) Centre for Reliability

Director, Joint Director, Deputy Director.

(b) National Informatics Centre

Director, Joint Director, Deputy Director.

MINISTRY OF LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

Legislative Department

Official Languages Wing

Joint Secretary and Legislative Counsel

MINISTRY OF LABOUR

Directorate General of Labour

Director General/ Joint Secretary/ Deputy Secretary/ Under Secretary/ Desk Officer.

MINISTRY OF COAL & MINES

(1)Geological Survey of India

Senior Deputy
Director General/Deputy
Director General/
Director/Regional
Administrative
Officer/Senior
Administrative Officer.

(2) Indian Bureau of Mines

Controller General/ Controller of Mines (Co-ordination)/Chief Controller of Mines/ Director(Ore-Dressing)/ Head of Office.

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING

Central Bureau of Investigation

Deputy Director (Administration)/
Administrative Officer/Assistant Director (Establishment)

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Department of Science and Technology

India Meteorological Department

Deputy Director General of Meteorology (Administration and stores)

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(1) National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Under Secretary.

(2) National Commission for Minorities

Under Secretary.

DEPARTMENT OF SPACE

Space Commission

Secretary

DEPARTMENT OF COMMERCE

Directorate General of Supplies and Disposals

Director (Administation), Deputy Director

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(1) Road Safety

Deputy Director (Road Safety).

(2) Marine Development

Account Officer (Marine Development).

MINISTRY OF TEXTILES

(1) Office of the Development Commissioner (Handicrafts)

Development Commissioner (Handicrafts)/ Director(Marketing)

(2) Office of Textile Commissioner

Joint Textile Commissioner.

(3) Office of Development Commissioner (Handlooms)

Deputy Development Commissioner.

(4) Office of the Jute Commissioner

Deputy Jute Commissioner.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(1) Central Public Works Department

Director/Deputy
Director(Administration)

(2) Directorate of Printing

Joint Director (Administration)

(3) Directorate of Estates

Deputy Directors of Estate incharge of Litigation, Markets and Policy cell.

(4) Town and Country Planning Organisation

Chief Planner.

(5) Land and Development Office

Land and Development Officer/Deputy Land and Development Officer/Assistant Settlement Commissioner.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

Central Water Commission

Secretary (Central Water Commission)/Director/Under Secretary/Deputy Director in the Human Resources Wing at the Headquarters

New Delhi

Dated: 16th January, 2002

K. R. NARAYANAN, PRESIDENT.

[No. 23/1/94-Public]
YASHWANT RAJ, Jt. Secy.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD, NO. D. L.-33004/99

The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] No. 481

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 19, 2006/पौष 29, 1927 NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 19, 2006/PAUSA 29, 1927

गृह मंत्रालय आदेश

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2006

का.आ. 52 (आ).— संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियमावली, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

- (i) ये नियम अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) संशोधन नियमावली, 2005 कहलाएंगे।
 - (ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियमावली, 2002 के नियम 2 में :--
 - धारा (44) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—
 - ''जल संसाधन मंत्रालय के संबंध में आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में विभाग के ईस्टर रिवर्स विंग में शाखा अधिकारी के रूप में कार्यरत भारत सरकार का अवर सचिव; और वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त/संयुक्त आयुक्त, निदेशक (राजभाषा), वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (कृषि विषय), संयुक्त आयुक्त (मृदा/कृषि इंजीनियरी/सस्य विज्ञान), निदेशक/संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी), उप निदेशक (सांख्यिकी), उप आयुक्त, उप निदेशक (राजभाषा), उप निदेशक (कृषि अर्थशास्त्र); अथवा''
 - (ii) धारा (47) शामिल की जाए ताकि निम्नानुसार पढ़ा जाए :—
 - ''(47) भू-संसाधन, ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास प्रभाग) के संबंध में आदेशों और लिखतों के मामले में उस विभाग में उप महानिरीक्षक (वन), उप सलाहकार (वानिकी), सहायक महानिरीक्षक (वन), उप आयुक्त अथवा

आ. प. जै. अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति

[सं. 23/01/2005-पन्लिक]

यशवन्त राज, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 18th January, 2006

- S.O. 52(E).—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution, the President is pleased to make the following rules to amend the Authentication (Orders & other Instruments) Rules, 2002 namely:—
 - These rules may be called the Authentication (Orders & other Instruments) Amendment Rules, 2005.
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. In rule 2 of the Authentication (Orders & other Instruments) Rules, 2002:—
 - (i) Section (44) may be substituted by the following:-
 - "In the case of orders and other instruments relating to the Ministry of Water Resources, by the Under Secretary to the Government of India functioning as Branch Officer in the Eastern Rivers Wing in that Department; and by Senior Joint Commissioner/Joint Commissioner, Director (Official Language), Senior Joint Commissioner (Agricultural Disciplines), Joint Commissioner (Soils/Agricultural Engineering/Agronomy), Director/Joint Director (Statistics), Deputy Director (Statistics), Deputy Commissioner, Deputy Director (Official Language), Deputy Director (Agricultural Economics); or"
 - (ii) Section (47) may be inserted to read as :-
 - "(47) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development (Wasteland Development Division) by the Dy. Inspector General (Forests), Dy. Adviser (Forestry), Asstt. Inspector General (Forests), Deputy Commissioner or Scientist (TE) in that Department."

Sd/-

A.P. J. ABDUL KALAM, PRESIDENT

[No. 23/01/2005-Public] YASHWANT RAJ, Jt. Secy. (Admn.)

Michaelte of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3 —उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 945] No. 945]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 25, 2006/भाद 3, 1928 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 25, 2006/BHADRA 3, 1928

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली; 25 अगस्त, 2006

का.आ. 1358(अ),—संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 2002 में आगे और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

- (i) ये नियम अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) संशोधन नियम, 2006 कहलाएंगे ।
- (ii) ये सरकारी राजपंत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 2002 के नियम 2 में निम्नवत पठनीय एक नई धारा (48) जोड़ी जाए :—
 - "(48) केन्द्र निदेशकों (केन्द्रों के प्रभारी), केन्द्र प्रमुख, निदेशक/उप सचिव (स्थापना), निदेशक (प्रशासन) और उप निदेशक (प्रशासन) द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) से सम्बन्धित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में"।

(आ.प.जै. अब्दुल कलाम)

राष्ट्रपति

[सं. 23/1/2006-पब्लिक]

यशवन्त राज, संयुक्त सचिव (प्रशा.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 25th August, 2006

S.O. 1358(E).—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution of India, the President is pleased to make the following rules to further amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 2002 namely:—

- 1. (i) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Amendment Rules, 2006.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In rule 2 of the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 2002, a new section (48) may be inserted to read as:—
 - "(48) in the case of orders and other instruments relating to the National Technical Research Organisation (NTRO) by the Centre Directors (Incharge of Centres), Centre Heads, Director/Deputy Secretary (Establishment), Director (Administration) and Deputy Director (Administration)".

(A.P.J, Abdul Kalam)

President

[No. 23/1/2006-Public] YASHWANT RAJ, Jt. Secy. (Admn.)

2604 GI/2006



EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1434]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 9, 2009/भाद्र 18, 1931

No. 1434

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 2009/BHADRA 18, 1931

गृह मंत्रालय आदेश

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2009

का.आ. 2295(अ).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारत की राष्ट्रपति, अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 2002 [अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) संशोधन नियमावली, 2005 के द्वारा 18 जनवरी, 2006 तथा अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) संशोधन नियम, 2006 को द्वारा 25 अगस्त, 2006 को संशोधित] को पुन: संशोधित करती हैं:—

"अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 2002 की अनुसूची में रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग से संबंधित प्रविष्टि में निम्नानुसार संशोधन किया जाना है:

वर्तमान प्रविष्टि	निम्न के द्वारा प्रतिस्थापित की जानी है
अपर महानियंत्रक/	रक्षा लेखा के संयुक्त महानियंत्रक/रक्षा लेखा
उप-महानियंत्रक	के वरिष्ठ उप-महानियंत्रक/रक्षा लेखा के
	उप महानियंत्रक

- 2. अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 2002 में उपर्युक्त संशोधन के बाद इसे अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) संशोधन नियमावली, 2009 कहा जाएगा ।
 - 3. वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

प्रतिभा देवीसिंह भाटिल, राष्ट्रपति ।"

नई दिल्ली

दिनांक : 9 सितम्बर, 2009

[फा. सं. 23/1/2009-पब्लिक] आर. पी. नाथ, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS ORDER

New Delhi, the 9th September, 2009

S.O. 2295(E).—In exercise of powers conferred by clause (2) of Article 77 of the Constitution of India, the President of India is pleased to further amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 2002 [amended on January 18, 2006 vide Authentication (Orders and other Instruments) Amendment Rules, 2005 and on August 25, 2006 vide Authentication (Orders and other Instruments) Amendment Rules, 2006]:—

"In the Schedule to the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 2002, the entry pertaining to Ministry of Defence, Defence Accounts Department to be amended as follows:

Existing entry	To be substituted by				
Additional Controller	Joint Controller General of				
General/Deputy	Defence Accounts/Sr. Deputy				
Controller General	Controller General of Defence				
	Accounts/Deputy Controller				
	General of Defence Accounts				
100 (2)	Character and the second secon				

- 2. The above amendment to the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 2002 may be called the Authentication (Orders and others Instruments) Amendment Rules, 2009.
- 3. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

142

PRATIBHA DEVISINGH PATIL, PRESIDENT."

New Dollin

Dated: 9th September, 2009

[F. No. 23/1/2009-Public] R. P. NATH, Jt. Secy. (Admn.)

3298 GI/2009



He Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1580]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 2, 2010/श्रावण् 11, 1932

No. 1580]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 2, 2010/SHRAVANA 11, 1932

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2010

का.आ. 1887(अ).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत की राष्ट्रपति, अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) नियम, 2002 [अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) संशोधन नियम, 2005 के द्वारा 18 जनवरी, 2006 और अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) संशोधन नियम, 2006 के द्वारा 25 अगस्त, 2006 को संशोधित तथा अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) संशोधन नियम, 2009 के द्वारा 9 सितम्बर, 2009 को संशोधित] को आगे और संशोधित करती हैं :—

अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) नियम, 2002 की अनुसूची में योजना और समन्वय निदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय से संबंधित प्रविष्टि में निम्नानुसार संशोधन किया जाना है:—

वर्तमान प्रविष्टि

रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग

योजना और समन्वय निदेशालय

निदेशक (योजनां और समन्वय)/उप योजना अधिकारी (समन्वय)

के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए

रक्षा उत्पादन विभाग

योजना और समन्वय निदेशालय

निदेशक (योजना और समन्वय)/उप निदेशक (प्रशासन और समन्वय)

- 2. अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) नियम, 2002 में उपर्युक्त संशोधन के अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) संशोधन नियम, 2010 कहा जाएगा।
 - 3. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

ह./-

(प्रतिभा देवीसिंह पाटील),

राष्ट्रपति

नई दिल्ली

दिनांक: अगस्त 2, 2010

[फा. सं. 23/1/2010-पब्लिक]

आर पी. नाथ, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 2nd August, 2010

S.O. 1887(E).—In exercise of powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution of India, the President of India is pleased to further amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 2002 [amended on January, 18, 2006 vide Authentication (Orders and other Instruments) Amendment Rules, 2005 and on August 25, 2006 vide Authentication (Orders and other Instruments) Amendment Rules, 2006 and on September, 9, 2009 vide Authentication (Orders and other Instruments) Amendment Rules, 2009]:—

In the Schedule to the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 2002 the entry pertaining to Directorate of Planning and Coordination, Department of Defence Production, Ministry of Defence to be amended as follows:—

Existing entry

Department of Defence Production and Supplies	8.1	y i i		
Directorate of Planning and Coordination	n e		Director (Planning and Coordination)/De Officer (Coordination).	puty Planning
To be substituted by	и	ii Ba	2.	
Department of Defence Production				
Directorate of Planning and Coordination			Director (Planning and Coordination)/De (Admn. & Coordination).	puty Director

- 2. The above amendment to the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 2002 may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Amendment Rules, 2010.
 - 3. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Sd/-

(PRATIBHA DEVISINGH PATIL),
President

New Delhi

Dated: August 2, 2010

[F. No. 23/1/2010-Public] R. P. NATH, Jt. Secy. (Admn.)